

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,  
सचिव

सेवा में,

प्रबंध निदेशक;  
 झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम (लि.)  
 (झालको), राँची/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : २७/११/२०२०

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत प्रबंध निदेशक, झालको, राँची को जल संसाधन विभाग के उपक्रम झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको) के लिए वेतन अनुदान हेतु कुल रु. 189.18156 लाख (एक करोड़ नवासी लाख अठारह हजार एक सौ छप्पन मात्र) रूपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-०७/२०२०-२१, दिनांक 19.11.2020 (Online AA- 1198/25.11.2020)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	मुख्य शीर्ष-२७०२- लघु सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-०१-सतही जल,	796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना, ०२-झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालको हेतु वेतन अनुदान	०६-अनुदान, ४६ सहायता अनुदान सामान्य, विपत्र कोड ५०S270201796020646	189.18156

आवंटित राशि – ₹ एक करोड़ नवासी लाख अठारह हजार एक सौ छप्पन मात्र।

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय निम्न वर्णित विवरणी में अंकित कार्य प्रमंडल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा :- (राशि लाख रु. में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (६+९)	On-line Allotment Access No	
						पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	प्रबंध निदेशक, झालको, राँची (RNCIRR035)	झालको	वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल संराधन विभाग के उपक्रम झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको) के लिए वेतन अनुदान।	189.18156	0.00	0.00000	189.18156	189.18156	189.18156	58918	
						योग	0.00000	189.18156	189.18156	189.18156	

- आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध ₹ 300.00 लाख (₹ तीन करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दिनांक 09.05.2016 तथा 2747 (वि.), दिनांक 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रसंगाधीन आवंटन आदेश, नं. संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जाएगी है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट संपर्क तथा आवंटित राशि के अधीन है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)


7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
9. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना प्रबंध निदेशक, झालको का दायित्व होगा।
11. प्रबंध निदेशक झालको (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार ट्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. प्रबंध निदेशक, झालको आवंटित राशि को पी. एल. खाता में जमा करेंगे।
13. इस राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको एवं संयुक्त सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

**नोट :** आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है, जिसका Access No. उपर्युक्त कंडिका-2 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

  
 (प्रशांत कुमार)  
 सचिव

झापांक :- 121


प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. – हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
 (प्रशांत कुमार)  
 सचिव

झापांक :- 121

रॉची, दिनांक :- 27/11/2020

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा-7 को दस अंतिक्षेत्र प्रतियों में/सांस्थिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
 (राजेन्द्र प्रसाद)  
 उप सचिव (अभि.)

  
 (अशोक कुमार दास)  
 संयुक्त सचिव (अभि.)

  
 (प्रशांत कुमार)  
 सचिव